



कार्यालय प्रधान आयुक्त (अंकेक्षण), केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर
OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER (AUDIT) CENTRAL GOODS & SERVICE TAX,
G-105, New Industrial Area, Opp. Diesel Shed, Basni, Jodhpur (Raj.)
 E-mail: tech-auditjdr@gov.in, tech-auditjdr@gov.in

सेवा में,

Sh. Santosh S. Khabiya,
Add: C-18, Arihant Nagar, Sindhi Colony,
Jalna Road Near Jain Temple,
Aurangabad-431001
Mob: 80076-96508

विषय : RTI application Registration No. GSTJP/R/T/26/00065/2 dated 10.04.2026 under the RTI Act, 2005- reg.

महोदय,

कृपया आपके RTI आवेदन पंजीकरण संख्या **GSTJP/R/T/26/00065/2** दिनांक **10.04.2026** का संदर्भ लें, जिसे मुख्य आयुक्त कार्यालय, CGST एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, जयपुर जोन द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के तहत इस कार्यालय को स्थानांतरित किया गया है।

2. उपरोक्त RTI आवेदन पंजीकरण संख्या **GSTJP/R/T/26/00065/2** दिनांक **10.04.2026** के विषय में अवगत कराना है कि उक्त RTI आवेदन के तहत चाही गयी जानकारी पूर्व में दायर RTI आवेदन संख्या **GSTJP/R/T/26/00050/2** दिनांक **24.03.2026** के समान है जिसका उत्तर (Issue संख्या I/4244189/2026) इस कार्यालय द्वारा दिया जा चूका है एवं प्रति इस पत्र के साथ संलग्न की जा रही है।

3. इसप्रकार उपर्युक्त उक्त आर टी आई आवेदन का निस्तारण किया जाता है। आवेदक इस आदेश के खिलाफ अपर आयुक्त और प्रथम अपीलीय अधिकारी (आरटीआई), सी. जी. एस. टी. (अंकेक्षण) आयुक्तालय, जी-105, गलीन. 5, नव जोधपुर औद्योगिक क्षेत्र, बासनी, जोधपुर को आदेश प्राप्ति के 30 दिन में अपील कर सकते हैं।

भवदीय,

संलग्नक: उपरोक्तानुसार.

(कृष्ण कान्त गुप्ता)
 केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी



कार्यालय प्रधान आयुक्त (अंकेक्षण), केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर
OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER (AUDIT) CENTRAL GOODS & SERVICE TAX,
G-105, New Industrial Area, Opp. Diesel Shed, Basni, Jodhpur (Raj.)
E-mail: tech-auditjdr@gov.in, tech-auditjdr@gov.in

सेवा में,

Sh. Santosh S. Khabiya,
Add: C-18, Arihant Nagar, Sindhi Colony,
Jalna Road Near Jain Temple,
Aurangabad-431001
Mob: 80076-96508

विषय : RTI application Registration No. GSTJP/R/T/26/00050/2dated 24.03.2026under the RTI Act, 2005- reg.

महोदय,

कृपया आपके RTI आवेदन पंजीकरण संख्या GSTJP/R/T/26/00050/2 दिनांक 24.03.2026 का संदर्भ लें, जिसे मुख्य आयुक्त कार्यालय, CGST एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, जयपुर जोन द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के तहत इस कार्यालय को स्थानांतरित किया गया है।

2. उपरोक्त RTI आवेदन पंजीकरण संख्या GSTJP/R/T/26/00050/2 दिनांक 24.03.2026 के विषय चाही गयी विन्दुवार सूचना इस प्रकार से है:

बिंदु 1 (a) एवं (b):

मांगी गई सूचना इस कार्यालय से न तो संबंधित है और न ही इस कार्यालय में संधारित की जाती है। अतः इस कार्यालय के अभिलेखों में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

बिंदु 1 (c):

विभिन्न आयुक्तालयों/जोन में अधिकारियों के पदस्थापन, स्थानांतरण एवं सतर्कता/अनुशासनात्मक मामलों से संबंधित विवरण इस कार्यालय में समेकित रूप से संधारित नहीं किया जाता। अतः इस कार्यालय के अभिलेखों में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

बिंदु 2 (a) एवं (b):

मांगी गई सूचना इस कार्यालय से न तो संबंधित है और न ही इस कार्यालय में संधारित की जाती है। अतः कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

बिंदु 2 (c):

सभी संबंधित परिपत्र, मैनुअल एवं मानक संचालन प्रक्रियाएं (SOPs) पहले से ही सार्वजनिक डोमेन में Central Board of Indirect Taxes and Customs की आधिकारिक वेबसाइट (<https://cbic-gst.gov.in/>) पर उपलब्ध हैं। आवेदक इन्हें सीधे वहां से प्राप्त कर सकते हैं।

बिंदु 2 (d):

मांगी गई सूचना इस कार्यालय से संबंधित नहीं है तथा इस कार्यालय में संधारित नहीं की जाती है। अतः कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

बिंदु 3 (a) से (d):

मांगी गई सूचना इस कार्यालय से संबंधित नहीं है तथा इस कार्यालय में संधारित नहीं की जाती है। अतः इस कार्यालय के अभिलेखों में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

बिंदु 4:

मांगी गई सूचना इस कार्यालय से संबंधित नहीं है तथा इस कार्यालय में संधारित नहीं की जाती है। अतः कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

बिंदु 5:

मांगी गई सूचना इस कार्यालय से संबंधित नहीं है तथा इस कार्यालय में संधारित नहीं की जाती है। अतः कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

बिंदु 6:

इस कार्यालय के अभिलेखों के अनुसार मांगी गई सूचना शून्य (NIL) है।

बिंदु 7:

मांगी गई सूचना इस कार्यालय द्वारा संधारित नहीं की जाती है। अतः इस कार्यालय के अभिलेखों में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

बिंदु 8:

(a) एवं (c):

यह प्रस्तुत किया जाता है कि बिंदु (a) एवं (c) पर मांगी गई सूचना सामान्य प्रशासनिक निर्देशों, दिशा-निर्देशों एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी परिपत्रों से संबंधित है। संबंधित निर्देश, जो इस आयुक्तालय के लिए उपलब्ध एवं लागू हैं, पहले से ही सार्वजनिक डोमेन में Central Board of Indirect Taxes and Customs / CGST की आधिकारिक वेबसाइट (<https://cbic-gst.gov.in/>) एवं <https://cgstjaipur.gov.in/>) पर उपलब्ध हैं। आवेदक इन्हें सीधे वहां से प्राप्त कर सकते हैं।

(b):

बिंदु (b) के संबंध में मांगी गई सूचना कार्मिक अभिलेखों, सतर्कता मामलों एवं विभिन्न इकाइयों में अधिकारियों के व्यक्तिगत स्थानांतरण/पदस्थापन विवरण से संबंधित है, जो इस आयुक्तालय में समेकित रूप से संधारित नहीं की जाती है।

बिंदु 9:

इस कार्यालय के अभिलेखों के अनुसार मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं है।

बिंदु 10:

इस कार्यालय के अभिलेखों के अनुसार फर्जी ITC धोखाधड़ी का कोई प्रकरण दर्ज नहीं किया गया है। अतः सूचना शून्य (NIL) है।

बिंदु 11:

मांगी गई सूचना इस कार्यालय से संबंधित नहीं है तथा इस कार्यालय में संधारित नहीं की जाती है। अतः कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

बिंदु 12:

(a):

मांगी गई सूचना, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के लिए ITC claimed बनाम ITC availed का विश्लेषण मांगा गया है, इस कार्यालय में आवेदक द्वारा अपेक्षित प्रारूप में संधारित नहीं की जाती है।

(b):

इस कार्यालय के अभिलेखों के अनुसार सूचना शून्य (NIL) है।

(c):

इस कार्यालय के अभिलेखों के अनुसार सूचना शून्य (NIL) है।

अतिरिक्त रूप से यह अवगत कराना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत केवल वही सूचना प्रदान की जा सकती है जो अभिलेखों में उपलब्ध एवं संधारित हो। लोक सूचना अधिकारी/CPIO को नई सूचना सृजित करने, नवीन विश्लेषण करने अथवा आवेदक द्वारा अपेक्षित स्वरूप में आंकड़ों का संकलन/संकलन (compilation) करने का दायित्व नहीं है। चूंकि मांगी गई सूचना का अधिकांश भाग विभिन्न क्षेत्रों एवं इकाइयों से संबंधित आंकड़ों के संकलन, समेकन एवं विश्लेषण की मांग करता है, जो इस कार्यालय के नियमित अभिलेखों का हिस्सा नहीं है, अतः उक्त सूचना प्रदान किया जाना संभव नहीं है।

3. इस प्रकार उपर्युक्त उक्त आर टी आई आवेदन का निस्तारण किया जाता है। आवेदक इस आदेश के खिलाफ अपर आयुक्त और प्रथम अपीलीय अधिकारी (आरटीआई), सी. जी. एस. टी. (अंकेक्षण) आयुक्तालय, जी-105, गलीन. 5, नव जोधपुर औद्योगिक क्षेत्र, बासनी, जोधपुर को आदेश प्राप्ति के 30 दिन में अपील कर सकते हैं।

भवदीय,

(कृष्ण कान्त गुप्ता)
केन्द्रीय लोकसूचना अधिकारी